

उत्तर रेलवे  
NORTHERN RAILWAY

प्रधान कार्यालय,  
बड़ीदा हाउस,  
नई दिल्ली।

मु0क्र0स0 13500/72

प.सं. 561ई/ 6 सी.पी.सी./Transport All / 08

दिनांक 30/01/2009.

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष  
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक  
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय  
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Grant of Transport Allowance to Railway employees - clarification  
reg.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. PC-V/2008/A/TA/2 दिनांक 23/01/2009  
(आर.वी.ई.सं.16/2009) क्र.सं. पी.सी.-VI/ 72 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही  
हेतु प्रेषित की जा रही है।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय के समस्त मुख्य पत्र दिनांक 12/09/2008 (RBE  
No. 111/2008) की प्रतिलिपि मु0क्र0स0 13500/7 के अर्न्तगत भेजी जा चुकी है।

पत्र का हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती अवश्य भेजें।

सलग्न/यथोक्त

(Om Prakash)  
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ीदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एनआरएनयू, 12 चैन्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली
3. महासचिव, अ0भा0अ0जा0/अ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी  
लाजपतनगर, नई दिल्ली-24
4. महासचिव, अ0म0अ0पि0य0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए/3 बसंत लेन नई दिल्ली।

(1) 26

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)  
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)  
(RAILWAY BOARD)

S. No. PC-VI/72  
No. PC-V/2008/A/TA/2

RBE No. 16/2009  
New Delhi, dated 23.01.2009

The General Manager/CAO(R)  
All Indian Railways & PUs  
(As per mailing list)

*epo*  
*CPD A (od)*  
*DYCPDR* *23/1/09* *KSLan*  
**Sub: Grant of Transport Allowance to Railway employees – clarification reg.**

In continuation to the Board's letter of even number dated 12-9-2008, the issue regarding admissibility of Transport Allowance to Residential Card Pass (RCP) users has been reviewed by the Board and in partial modification of para 4 of the letter dated 12-9-2008 *ibid*, it has been decided that Transport allowance be made admissible to those railway employees who are already availing the RCP facility with a proviso that no further railway or section will be added to the ambit of Residential Card Passes in future.

2. These orders are effective from September 1, 2008.
3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
4. Hindi version is enclosed.

*NSP*  
(N.P. Singh)  
Deputy Director, Pay Commission-V  
Railway Board

No. PC-V/2008/A/TA/2

New Delhi, dated 23.01.2009

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

*Staw*  
For Financial Commissioner, Railways

D:\garg\circles\6th CPC\Transport allowance-6 PC.doc

*EW*  
*Rb 762*  
*27/1*

2

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पी सी VI/ 72  
सं. पी सी-V/2008/ए/टीए/2


आर बी ई सं. 16 /2009  
नई दिल्ली, दिनांक 13.1.2009

महाप्रबंधक/मु.प्र.अ. (आर ),  
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,  
(मानक डाक सूची के अनुसार )

**विषय : रेल कर्मचारियों को यात्रा भत्ता प्रदान करना - उसके संबंध में स्पष्टीकरण।**

बोर्ड के 12.9.2008 के समसंख्यक पत्र के क्रम में, रेसीडेन्शियल कार्ड पास (आरसीपी) उपयोगकर्ताओं को यात्रा भत्ता स्वीकार करने के मामले को बोर्ड द्वारा पुनरीक्षा की गई है और 12.09.2008 के उपर्युक्त पत्र के पैरा 4 के आंशिक आशोधन में यह विनिश्चय किया गया है कि यात्रा भत्ता पहले से आरसीपी सुविधा का उपयोग कर रहे उन रेल कर्मचारियों को इस शर्त के साथ स्वीकार्य किया जाए कि भविष्य में आगे कोई रेलवे या खंड रेसीडेन्शियल कार्ड पास के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा।

3. ये आदेश 1 सितंबर 2008 से प्रभावी हैं।
4. यह रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

  
(निर्भय प्रताप सिंह)  
उप निदेशक, वेतन आयोग-V  
रेलवे बोर्ड